

सेवा में

श्रीमान उपरखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एकट 1956 की धारा 13B

अनवान श्री शमलाल पिता/पत्नी श्री किशना कुमारी
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शमलाल पिता/पत्नी
निवासी आंवलदेड़ा का/जी हुं/हैं।

मेरे/हमारे पटवार हल्का आंवलदेड़ा के राजस्व ग्राम आंवलदेड़ा में खाता संख्या 232
किता 3 रकबा 0.8.5 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल पुत्र किशना दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में शमलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल पुत्र किशना के बजाय शमलाल पुत्र किशना दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 17/10/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आंवलदेड़ा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शमलाल पिता/पत्नी किशना कुमारी निवासी आंवलदेड़ा
आंवलदेड़ा राजस्व ग्राम आंवलदेड़ा पटवार हल्का आंवलदेड़ा की जमाबन्दी में खाता सं- 232 में
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में शमलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते है। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

पटवारी
हस्ताक्षर पटवारी

आंवलदेड़ा
पटवार हल्का आंवलदेड़ा
तह. बस्ती (चित्तौड़गढ़)

पटवारी
हस्ताक्षर भू.अ.नि.

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ) बरसी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ / 2025 /

प्रविति.

दिनांक - 17/ 10/ 2025

भीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन हे कि प्राथी/प्राथीयान श्री राजा पिता/पत्नि किशना कुमारी निवासी शंवलदेडा पटवार हल्का शंवलदेडा के राजस्व घाम शंवलदेडा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 232 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति जम्म रामलाल पुत्र किशना किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति जम्म रामलाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। पुत्र किशना कुमारी

जाति संशोधन की रिधति में राज. कार्रताकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

HL

तहसीलदार बरसी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/609

दिनांक: 31/10/2025

निमित.

पटवार हल्का शंवलदेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/जम्म दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्राथी/प्राथीयान के अनुसार श्री रामलाल पिता/पत्नि किशना कुमारी राजस्व घाम शंवलदेडा पटवार हल्का शंवलदेडा की खाता संख्या 232 में जाति/नाम रामा पुत्र किशना दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्राथी/प्राथीयान श्री रामा पिता/पत्नि किशना कुमारी की जाति/नाम रामलाल पुत्र किशना एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का शंवलदेडा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

**उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ**

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

**उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ**

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।